





2081/232

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
83/021	212 RTA	— बारां 31	६९३१
वादी A 83/2021	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नारायण	बनाम	भहेन्द्र कोठ	

वकील :- भावत वलरिया एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27/12/21	अतिमाधक प्रथी द्वारा भाषीत पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रायोगिकों के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सविस्तर का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रायोगिकों के जरिये समान तलब कर पत्रावली दिनांक 10/01/22 को पेश हो। 	
23/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के तलबी समान अप्राप्त। पुनः तलबी हेतु तलबना पेश करें। वास्तु तलबी। तलबना पत्रावली दिनांक 24/3/22 को पेश हो। 	
22/1/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/3/22 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
2/1/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/6/22 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

श्रीमान् श्री. एम. डडताल
 न्यायाधीश के अन्तर्गत कार्य में
 व्यवह होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
 दिनांक 2/5/23 को पेश हो।

श्री. डडताल
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर (बारा)

18 2/23 पत्रावली मरु के को के कांड पूर्ववत् स्थिति में
 आज पेश हुई। नकील पार्थी अनुपस्थित। न्यायालय
 में रुक रुककर तीन बार आवाज पुकारवाई गई।
 कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण कलम धाजिरी का फरवी
 खाते किता जाना है। पत्रावली फेशल सुधार होकर
 सफ़िल सफल हो।